1/2170/139/2010

संख्या– 2498/33–3–2010–100(8)/2010

प्रेषक,

डी0एस0श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Sh. Devendra Jain ... 18/10/11

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 08 नवम्बर, 2010

विषयः <u>केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या–5/814/10–5/50/2010, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/10, दिनांक 26–3–2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–14 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0–10000.00 लाख में से राज्यॉश के मद में रु0–1972.39 लाख (रुपया उन्नीस करोड़ बहत्तर लाख उन्तालिस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/10, दिनांक 26–3–2010 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

CFAO

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्राशं प्राप्त हो जाने पर भी राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

(5) इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएँ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(6) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(7) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायती राज– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–

0101–ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु अनुदान(जिला योजना)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा।

(8) शासकीय व्यय में मितब्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितब्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007, दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(10) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेज़िग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

(11) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।

2– आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–2–709/दस–2010 दिनांक 01. 11.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5– एन0आई0सी0 की प्रति।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–2/वित्त (बजट) अनु0–2।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एस0श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 2419/33-3-2010-(20(80)/2010, दिनांक 8-11-10 का संलग्नक IV

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2010–11 (राज्यांश)

अनुदान संख्या–14

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	जनपद	अवमुक्त [illegible] धनराशि (राज्यांश)
1	2	3
1	मेरठ	7.29
2	बागपत	5.33
3	गाजियाबाद	0.21
4	गौतमबुद्धनगर	21.42
5	बुलन्दशहर	0.00
6	सहारनपुर	0.00
7	मुजफ्फरनगर	13.91
8	आगरा	7.42
9	अलीगढ़	10.00
10	हाथरस	28.27
11	एटा	0.00
12	मैनपुरी	49.76
13	मथुरा	0.00
14	फिरोजाबाद	22.66
15	कांशीरामनगर	30.00
16	बरेली	0.00
17	बदायू	0.00
18	पीलीभीत	0.00
19	शाहजहानपुर	0.00
20	मुरादाबाद	19.92
21	ज्योतिबाफूलेनगर	6.33
22	रामपुर	22.15
23	बिजनौर	0.00
24	लखनऊ	0.00
25	रायबरेली	92.82
26	हरदोई	0.00
27	उन्नाव	0.00
28	सीतापुर	146.15
29	खीरी	0.00
30	फैजाबाद	0.00
31	अम्बेडकर नगर	77.99
32	सुल्तानपुर	0.00
33	बाराबंकी	215.65
34	गोण्डा	0.00
35	बलरामपुर	0.00
36	बहराइच	95.10
37	श्रावस्ती	31.36
38	इलाहाबाद	0.00
39	कौशाम्बी	65.72

36

क्र. सं.	जनपद	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि (राज्यांश)
1	2	3
40	फतेहपुर	74.12
41	प्रतापगढ़	0.00
42	वाराणसी	0.00
43	चन्दौली	0.00
44	गाजीपुर	117.71
45	जौनपुर	86.02
46	मिर्जापुर	0.00
47	सोनभद्र	0.00
48	संतरविदासनगर	13.26
49	हमीरपुर	0.00
50	बांदा	18.85
51	चित्रकूट	21.24
52	महोबा	29.41
53	गोरखपुर	0.00
54	महाराज गंज	0.00
55	देवरिया	2.96
56	कुशीनगर	0.00
57	बस्ती	95.60
58	सन्त कबीर न0	10.19
59	सिद्धार्थ नगर	0.00
60	आजमगढ़	120.62
61	मऊ	56.02
62	बलिया	128.50
63	कानपुर नगर	0.00
64	कानपुर देहात	0.00
65	फर्रुखाबाद	0.00
66	कन्नौज	0.00
67	इटावा	0.00
68	औरैया	35.66
69	झांसी	135.42
70	ललितपुर	57.35
71	जालौन	0.00
	योग–	1972.39

-628

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–1/शा0/139/2010–1/200/2010 ,लखनऊ ::दिनॉक 10-नवम्बर, 2010

विषयः–केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में अनुदान–14 के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के शासनादेश संख्या–2498/33–3–2010–100 (8) 2010 दिनांक 08–11–2010 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0–14 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0–10000.00 लाख में से राज्यांश के मद में रू0–1972.39 लाख (उन्नीस करोड़ बहत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र) धनराशि संलग्न सूची उल्लिखित जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को जिला पंचायतराज अधिकारियों के निस्तारण पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– आवंटित की जा रही व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी0–1–951/दस–2010–231/10 दिनांक 26–3–2010 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/ जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो , प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सीयल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो ,उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण बिभाग को उपलब्ध करायी जाय।

6– जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

7– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायती राज–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु अनुदान (जिला योजना)–27–सब्सिडी के नामें डाला जायगा।

8– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहयता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सी0ए0–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9– किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगें। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, बाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर लेखाशीर्षक/मदवार निदेशालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10– आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार से सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नही की जाएगी।

11– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्यवन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

12– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रुपपत्र पर महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

13– प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– 16 पर अंकित है।

<u>संलग्न–उक्तवत्</u>।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

<u>संख्याः</u>–1/शा0/139/2010, तददिनॉक.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001
2– प्रमुख सचिव,पंचायती राज,उ0प्र0 शासन।
3– समस्त जिलाधिकारी।
4– समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उ0प्र0।
5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
6– उपनिदेशक (पं0) (प्रथम) पचायती राज, निदेशालय उ0प्र0।
7– विशेष सचिव वित्त ((व्यय–नियंत्रण) अनु0–3/वित्त बजट अनु0–2 उ0प्र0 शासन।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज,उ0प्र0।

D:\Devenra Pal\Letter TSC PLAN 24-04-2009 Sp.In. (2).doc

पत्र सं0–1/139/10–1/200/2010 दिनांक–१० नवम्बर, 2010 का संलग्नक

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2010–11 (राज्यांश) का आवंटन

अनुदान संख्या–14 *(धनराशि लाख रुपये में)*

क्र0सं0	जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (राज्यांश)	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4
1	आगरा	7.42	7.42
2	मैनपुरी	49.76	49.76
3	फिरोजाबाद	22.66	22.66
4	कांशीरामनगर	30.00	30.00
5	अलीगढ़	10.00	10.00
6	हाथरस	28.27	28.27
7	झांसी	135.42	135.42
8	ललितपुर	57.35	57.35
9	कौशाम्बी	65.72	65.72
10	फतेहपुर	74.12	74.12
11	महोबा	29.41	29.41
12	बांदा	18.85	18.85
13	चित्रकूट	21.24	21.24
14	बाराबंकी	215.65	215.65
15	अम्बेडकर नगर	77.99	77.99
16	बहराइच	95.10	95.10
17	श्रावस्ती	31.36	31.36
18	बस्ती	95.60	95.60
19	संतकबीर नगर	10.19	10.19
20	देवरिया	2.96	2.96
21	आजमगढ़	120.62	120.62
22	बलिया	128.50	128.50
23	मऊ	56.02	56.02
24	मुरादाबाद	19.92	19.92
25	रामपुर	22.15	22.15
26	जे0पी0 नगर	6.33	6.33
27	गाजियाबाद	0.21	0.21
28	गौतमबुद्धनगर	21.42	21.42
29	बागपत	5.33	5.33
30	मेरठ	7.29	7.29
31	मुजफ्फरनगर	13.91	13.91
32	संतरविदासनगर	13.26	13.26
33	जौनपुर	86.02	86.02
34	गाजीपुर	117.71	117.71
35	सीतापुर	146.15	146.15
36	रायबरेली	92.82	92.82
37	औरैया	35.66	35.66
	कुल योग–	**1972.39**	

(रुपया उन्नीस करोड़ बहत्तर लाख उन्तालीस हजार मात्र)

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एंव लेखधिकारी
पंचायती राज, उ0प्र0।

D:\Devenra Pal\TSC (Spcial Insentive) 2010-11